प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 984 / 2022
अनवान : –

1. बेअन्तसिंह पुत्र जलौरसिंह जाति जटसिख निवासी दलुवाला तहसील मोगा जिला फिरोजपुर (पंजाब)।
2. बुटासिंह पुत्र जलौरसिंह जाति जटसिख निवासी दलुवाला तहसील मोगा जिला फिरोजपुर (पंजाब)।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः **10.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 78/78 की कुल 6.7960है0 भूमि वादीगण स0 1 ता 2 के ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादीगण की वल्दीयत दिलावर सिंह दर्ज है जबकि वादीगण के पिता का सही एवं वास्तकि नाम जलोरसिंह है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत दलुवाला जिला मोगा के प्रमाण पत्र व नगरपालिका नोहर के वार्ड न0 40 के पार्षद के प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण के पिता का नाम दिलावरसिंह उर्फ जालौर सिंह अंकित है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण की वल्दीयत गलत दर्ज होने से वादीगण अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दिलावर सिंह के स्थान पर दिलावरसिंह उर्फ जालौरसिंह अपने दस्तावेजों के अनुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण की वल्दीयत दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसी कारण वाद पेश किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये [illegible] तलब किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 4 बीकेके खाता

स0 78/78 ईएक्सपी–1, वार्ड पार्षद प्रमाण पत्र ईएक्सपी–2, फोटोप्रति आधार कार्ड बेअन्तसिंह ईएक्सपी–3, फोटोप्रति आधार कार्ड बूटासिंह ईएक्सपी–4, सरपंच प्रमाण पत्र ईएक्सपी–5, मतदाता पहचाना पत्र ईएक्सपी–6, पैन कार्ड फोटोप्रति ईएक्सपी–7, पैनकार्ड फोटोप्रति बेअन्तसिंह ईएक्सपी–8, मतदाता पहचान पत्र फोटोप्रति बेअन्तसिंह ईएक्सपी–9, जमाबंदी रोही मौजा 4 बीकेके खाता स0 79/78 ईएक्सपी–10 आदि पेश किये।

तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा अपने पत्रांक 1457 दिनांक 07.02.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि गई कि वादीगण के दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड, पहचान पत्र में बूटासिंह पुत्र जलौर सिंह तथा बेअन्तसिंह पुत्र जलौरसिंह दर्ज है। नाम दुरूस्ती बाबत विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना उचित है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि में वादीगण के पिता का नाम दिलावर सिंह दर्ज है जबकि वादीगण के अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम जलौर सिंह दर्ज है इसी अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 78/78 की कुल 6.7960है0 भूमि वादीगण स0 1 ता 2 के ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड दर्ज है, जिसमें वादीगण द्वारा उक्त वाद भूमि में अपने पिता का नाम दिलावर सिंह के स्थान पर सही नाम जलोर सिंह मुताबिक दस्तावेज करने हेतु निवेदन किया है जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादीगण के पिता का नाम जलोर सिंह मुताबिक दस्तावेज दुरूस्ती बाबत विधिसम्मत कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र व तहसीदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 78/78 की कुल 6.7960है0 भूमि वादीगण स0 1 ता 2 के ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड दर्ज है, जिसमें **वादी स0 1 बेअन्तसिंह पुत्र दिलावरसिंह के स्थान पर बेअन्तसिंह पुत्र दिलावरसिंह उर्फ जलौरसिंह व वादी स0 2 बुटासिंह पुत्र दिलावरसिंह के स्थान पर बुटासिंह पुत्र दिलावरसिह उर्फ जलौरसिंह का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि बेअन्तसिंह पुत्र दिलावर सिंह व बुटासिंह पुत्र दिलावर सिंह के नाम से हो तो उसके लिए वादीगण के नाम बेअन्तसिंह पुत्र दिलावर सिंह व बुटासिंह पुत्र दिलावर ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– भूकरका

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 984 / 2022

अनवान : –

1. बेअन्तसिंह पुत्र जलौरसिंह जाति जटसिख निवासी दलुवाला तहसील मोगा जिला फिरोजपुर (पंजाब)।
2. बुटासिंह पुत्र जलौरसिंह जाति जटसिख निवासी दलुवाला तहसील मोगा जिला फिरोजपुर (पंजाब)।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 985 सन 2022 निर्णय दिनांक 10.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों / शपथ पत्र एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 78 / 78 की कुल 6.7960है0 भूमि वादीगण स0 1 ता 2 के ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड दर्ज है, जिसमें **वादी स0 1 बेअन्तसिंह पुत्र दिलावरसिंह के स्थान पर बेअन्तसिंह पुत्र दिलावरसिंह उर्फ जलौरसिंह व वादी स0 2 बुटासिंह पुत्र दिलावरसिंह के स्थान पर बुटासिंह पुत्र दिलावरसिह उर्फ जलौरसिंह का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि बेअन्तसिंह पुत्र दिलावर सिंह व बुटासिंह पुत्र दिलावर सिंह के नाम से हो तो उसके लिए वादीगण के नाम बेअन्तसिंह पुत्र दिलावर सिंह व बुटासिंह पुत्र दिलावर ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:11 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– भूकरका